राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1069/2014/भरतपुर

राजेश कुमार पुत्र श्री चरण सिंह,
माढेरा, डीग (भरतपुर) .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वृत्त–अ, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विनय कुमार गोयल,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बेद,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 68/उपा–भरत/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–अ, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2012 अन्तर्गत धारा 3, 6 व 7 The Raj. Tax on Entry of Motor vehicle in to Local Area Act 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम 1998"** कहा जायेगा) के तहत अतिरिक्त सृजित मांग राशि रू0 31,602/– को विवादित करने पर अपील अस्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाहन स्वामी राजेश कुमार पुत्र चरण सिंह ग्राम माढेरा तहसील डीग जिला भरतपुर ने राज्य के बाहर की फर्म मै. रोहन मोटर्स पलवल (हरियाणा) से बिल सं. वी.एस.एल 11002898 दिनांक 24.10.2011 द्वारा मारूति आल्टो कार रू 2,64,400/– में क्रय की जाकर जिला परिवहन कार्यालय भरतपुर में वाहन का पंजीयन कराया। राज्य के बाहर से वाहन क्रय किया जाकर राजस्थान राज्य में लाने की स्थिति में The Rajasthan Tax on Entry of Motor vehicle in to Local Area Act 1998 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रवेश कर चुकाने का दायित्व होने के कारण जांच पर पाया गया कि वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन के समय प्रस्तुत दस्तावेज में टी.सी.सी. सं. 541 दिनांक 09.12.2011 भी प्रस्तुत की गई है जबकि यह टी.सी.सी. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। इस प्रकार वाहन स्वामी द्वारा प्रवेश कर का नहीं चुकाना एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका पंजीयन कराने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 3, 6 व 7 के तहत अन्तर कर, शास्ति व ब्याज कुल राशि रू. 31,602/– की वसूली हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया। अपीलीय अधिकारी

लगातार.....2

के समक्ष अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की है जिसके विरूद्व व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विचाराधीन प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी ने अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की है। अपीलार्थी का कथन है कि सुनवाई के समय उनके अभिभाषक बीमार थे जिससे उन्हें सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार 18.07.2013 को अपीलार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये हैं। दिनांक 30.07.2013 को अपीलार्थी या उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है जिससे अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं मिला है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार अपीलार्थी द्वारा किये गये कथनों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

4. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.02.2018 को उपस्थित हो।

अपीलीय प्राधिकारी

5. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य